

उत्तराखण्ड के UCC वधियक का वश्लेषण

यह एडिटोरियल 26/02/2024 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "A chilling effect on the freedom to love" लेख पर आधारित है। इसमें वश्लेषण किया गया है कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता वधियक किस प्रकार सहमति से बने संबंधों को दंडित करने और व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन करने के रूप में स्वतंत्रता, नजिता एवं समता के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है।

प्रलिस के लयि:

[समान नागरिक संहिता \(UCC\), मूल अधिकार, राज्य के नीति नदिशक सदिधांत, वधिआयोग](#)।

मेन्स के लयि:

समान नागरिक संहिता का महत्त्व और इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ।

उत्तराखण्ड **वधिानसभा** द्वारा पारित **समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC)** वधियक, 2024 विवाह एवं संपत्ति उत्तराधिकार के संबंध में कानूनों को सुदृढ़ करने का उद्देश्य रखता है। इस वधियक के प्रवर्तनीय कानून में परिणत होने के लयि बस **राष्ट्रपति** की मंजूरी की प्रतीक्षा रह गई है। हालाँकि, वधियक में एक चर्चित बात 'लवि-इन रलेशनशिप' के अनविार्य पंजीकरण को लेकर है, जहाँ यदि कुछ शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो उन्हें अपराध घोषित किया जा सकता है। यह कदम न केवल व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन करता है बल्कि व्यक्तिगत संबंधों को वनियमित करने में राज्य की भूमिका पर भी सवाल उठाता है।

समान नागरिक संहिता (UCC):

परचिय:

- UCC का उल्लेख संवधिान के **अनुच्छेद 44** में राज्य की नीति के नदिशक तत्व (DPSP) के एक हसिसे के रूप में किया गया है, जहाँ कहा गया है कि राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लयि समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
- हालाँकि, संवधिान नरिमाताओं ने UCC को लागू करना सरकार के वधिक पर छोड़ दिया।
- गोवा UCC रखने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जो पुरतगाली सविलि संहिता 1867 का पालन करता है।

UCC पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख:

- मोहमद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामला (1985):** न्यायालय ने टपिणी की कि "यह खेद का वषिय है कि अनुच्छेद 44 एक 'डेड लेटर' (नषिप्रभावी) बना रहा है" और उसने इसके परिपालन का आह्वान किया।
 - सरला मुदगल बनाम भारत संघ (1995) और जॉन वल्लामट्टम बनाम भारत संघ (2003) जैसे अन्य मामलों में भी इसकी मांग दुहराई गई।

- जोस पाउलो कॉटनिहो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा मामला (2019):** न्यायालय ने गोवा की एक "शानदार उदाहरण" के रूप में सराहना की, जहाँ "समान नागरिक संहिता, कुछ सीमति अधिकारों की रक्षा को छोड़कर, धर्म पर वधिार कयि बना सभी पर लागू होती है" और तदनुसार इसके अखलि भारतीय कार्यान्वयन का आग्रह किया।

वधिआयोग का रुख:

- सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सहि चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें वधिआयोग ने वर्ष 2018 में 'पारविारिक कानून में सुधार' पर एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने मत प्रकट किया कि "अभी समान नागरिक संहिता का नरिमाण करना न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय।"

वधियक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लयि कयों भेजा गया?

वषिय-वस्तु की अस्पष्ट प्रकृति:

- भारतीय संवधिान** का **अनुच्छेद 162** इंगति करता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक वसितुत है जिनके संबंध में राज्य वधिानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है।
- सातवीं अनुसूची** की समवर्ती सूची की प्रवषिटि 5 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, समान नागरिक संहिता को लाने और लागू करने के लयि

एक समति के गठन को अधिकारातीत (ultra vires) के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

- समवर्ती सूची की प्रवर्षि 5 "वविह एवं तलाक; शशु एवं अवयस्क; दत्तक ग्रहण; वसीयत (Will), नरिवसीयतता एवं उत्तराधिकार; संयुक्त परिवार एवं उसका वभिजन; वे सभी वषिय जनिके संबंध में न्यायकि कार्यवाहियों में पक्षकार इस संवधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपनी स्वीय (व्यक्तगत)वधिके अधीन थे" से संबंधति है।

■ वधियक को आरक्षति रखने की राज्यपाल की शकतः

- राज्यपाल किसी वधियक को राष्ट्रपति के वचिरार्थ आरक्षति रख सकते हैं। यह आरक्षण उस स्थति में अनविर्य है जहाँ राज्य वधिनमंडल द्वारा पारति वधियक राज्य उच्च न्यायालय की स्थतिको खतरे में डालता है। हालाँकि, राज्यपाल किसी वधियक को तब भी आरक्षति कर सकता है जब वे नमिनलखिति प्रकृति के हों:
- संवधान के उपबंधों के वरिद्ध
- राज्य की नीति के नदिशक तत्व के वरिद्ध
- देश के व्यापक हति के वरिद्ध
- वे गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व रखते हों
- संवधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्तिके अनविर्य अधग्रहण से संबंधति हो।
 - उत्तराखंड का UCC वधियक कई राष्ट्रीय कानूनों- जैसे कि वशिष वविह अधनियम 1954, हद्वि वविह अधनियम 1955, शरीयत अधनियम 1937 आदिका अधरिहण (ओवरराइड) करता है और इसलिये इसे लागू किये जाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी के लिये भेजा गया है।

उत्तराखंड के UCC वधियक 2024 की मुख्य बातें

■ परचियः

- UCC संवधान के अनुच्छेद 44 से प्रेरति है और वविह, तलाक, दत्तक ग्रहण एवं उत्तराधिकार पर ध्यान केंद्रति करते हुए प्रत्येक धर्म के अलग-अलग व्यक्तगत कानूनों को प्रतस्थापति करने का लक्ष्य रखता है। यह संहति व्यक्तगत कानूनों का एकल समुच्चय होगी जो धर्म पर वचिर किये बनिा सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होगी।
- समति द्वारा प्रस्तुत किये गए कुछ प्रमुख प्रस्तावों में बहुवविह (polygamy), नकिह हलाला, इददत (मुस्लिम वविह के वधिटन के बाद महिलाओं द्वारा पालन की जाने वाली एक अनविर्य अवधि), तीन तलाक आदि पर प्रतबंध लगाना, सभी धर्मों में बालिकाओं के वविह के लिये एक समान आयु घोषति करना और 'लवि-इन रलेशनशिप' का अनविर्य पंजीकरण कराना शामिल है।

■ महत्त्वः

- UCC वधियक 2024 का उद्देश्य उत्तराधिकार एवं वविह जैसे मामलों में पुरुषों और महिलाओं के प्रतिसमान व्यवहार रखते हुए लैंगकि समानता पर ध्यान केंद्रति करना है।
- यह संहति मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम व्यक्तगत कानूनों के तहत प्रदत्त मौजूदा 25% हसिसेदारी के मुकाबले समान संपत्ति हसिसेदारी का भी वसितार कर सकती है।

■ छूटः

- **अनुसूचति जनजातियों (ST)** को इस वधियक के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड की जनजातीय आबादी (जो कुल आबादी की लगभग 3% है) उन्हें प्राप्त वशिष दरजे के मददेनजर UCC के वरिद्ध अपना असंतोष व्यक्त कर रही थी।

■ संबद्ध चतिाएँः

- वविह की न्यूनतम आयु पूर्ववत रहेगी, यानी महिलाओं के लिये 18 वर्ष और पुरुषों के लिये 21 वर्ष।
- 'लवि-इन रलेशनशिप' का अनविर्य पंजीकरण और कुछ शर्तों का अनुपालन नहीं होने पर इसे अपराध घोषति करना, वधियक में मौजूद वविदास्पद वषियों में से एक है।
- इस नरिदेश के साथ, प्रस्तावति कानून राज्य को सहमति से बने संबंधों को दंडति करने और व्यक्तगत स्वायत्तता का उल्लंघन करने की असंगत शकति प्रदान कर देगा।

₹10K FINE IF MARRIAGE NOT REGISTERED

<ul style="list-style-type: none">➤ Minimum marriage age 18 yrs for women, 21 yrs for men. Up to 6 months jail and/or ₹25,000 fine for breach➤ Mandatory registration within 60 days or ₹10,000 fine for marriages solemnised after UCC implementation➤ Dissolution of marriage in contravention of UCC norms to be punishable with up to 3 years in jail➤ Polygamy, bigamy prohibited. Halala, iddat, triple talaq banned➤ Up to 3 years in jail and/or	<ul style="list-style-type: none">₹50,000 fine for violating norms➤ Live-in couples to register within a month of relationship. Details to be verified by registrar who can conduct inquiry to establish validity of relationship➤ Cannot rent or buy property without registration➤ Child born of relationship will be considered legitimate➤ Must inform officials on termination of relationship➤ Woman deserted by partner entitled to maintenance
---	--

सहमति से बने संबंधों को वनियमिति करने से संबद्ध क्या चर्चाएं हैं?

■ रजिस्ट्रारों को प्राप्त अधिभावी शक्तियाँ:

- वधियक में 'लवि-इन पार्टनरस' के लिये संबन्धित रजिस्ट्रार के पास एक बयान या स्टेटमेंट दर्ज कराने की आवश्यकता रखी गई है। रजिस्ट्रार के पास इस बयान की जाँच करने और संबन्ध के बारे में पूछताछ करने की शक्तियाँ हैं।
- इसके अलावा, 'लवि-इन पार्टनरस' को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने की आवश्यकता हो सकती है और रजिस्ट्रार इस संबन्ध को पंजीकृत करने से इनकार भी कर सकता है। ऐसे किसी संबन्ध के समापन के लिये 'नोटिस' देना भी आवश्यक है।

■ आपराधिक दंड आरोपित करना:

- वधियक की एक और अवांछित विशेषता है इसमें आपराधिक दंड—कारावास या जुर्माना (या दोनों) की व्यवस्था, जो बयान दर्ज नहीं करने की स्थिति में आरोपित किया जा सकता है।
- गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिये लवि-इन युगल को दंडित किया जाएगा। रजिस्ट्रार ऐसे लवि-इन संबन्धों के वविरण संबद्ध क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस स्टेशन को सौंपेगा।

■ व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन:

- वधियक 'लवि-इन रलेशनशिप' के मूलभूत कारण को नज़रअंदाज़ करता है, जो यह है कि इसमें वविाह की औपचारिक संरचना एवं दायित्वों का अभाव होता है। इसलिये, लवि-इन संबन्ध में शामिल लोग अपने सहमत संबन्ध में स्वायत्तता का उपभोग करते हैं, जैसा एक वनियमिति वविाह में नहीं होता है। इन दोनों संस्थाओं (वविाह एवं लवि-इन) के बीच इस अति-आवश्यक अंतर को वल्लिपति करना न्यायसंगत नहीं है।

■ अत्यधिक 'मोरल पुलसिंग':

- एक ऐसे समाज में जो पहले से ही युवा जोड़ों की 'मोरल पुलसिंग' करता रहा है, इस वधियक के प्रावधान 'लवि-इन पार्टनरस' के लिये भयावह प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और ऐसे संबन्धों को हतोत्साहित कर सकते हैं।
- मामले में पुलसि की संलग्नता इस चर्चा को और बढ़ा देती है। इससे युगल वास्तविक संबन्धों में प्रवेश करने के प्रति संकोच या सतर्कता रखेंगे क्योंकि अनुपालन की कमी न केवल नागरिक परिणामों को बल्कि आपराधिक परिणामों को भी (जैसा कि नियामक कानूनों की नयिमिति आवश्यकता होती है) आमंत्रित करती है।

■ गरमिमय जीवन के अधिकार का उल्लंघन:

- एक माह की समय-सीमा (जहाँ कहा गया है कि जो कोई भी बयान दर्ज कराये बना ऐसे संबन्ध में प्रवेश करने की तथि से एक माह से अधिक समय तक लवि-इन रलेशनशिप में रहेगा, उसे दंडित किया जाएगा) भी प्रत्यक्षतम तरीकों से अंतरंगता को नषिद्ध करने का एक प्रयास है। यह गरमिमय जीवन के अधिकार पर बल देने वाले अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित स्वतंत्र नरिणय लेने और भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- वधियक के प्रावधानों द्वारा व्यक्तियों को 'लवि-इन रलेशनशिप' में प्रवेश करने से नषिद्ध किया जाता है, जो गहनतम व्यक्तिगत विकल्प चुनने की क्षमता में बाधाकारी है।

सहमति से बने संबंधों को वनियमिति करते समय कनि बातों का ध्यान रखना चाहिये?

■ संवधान के अनुरूप स्पष्ट नीति अपनाना:

- एक लोकतांत्रिक उदार राज्य के पास इस संबन्ध में स्पष्ट नीति होनी चाहिये कि वह किस वषिय को अपराध घोषित करना चाहता है और किस नहीं। यह नीति संवधान द्वारा संरक्षित वषियों के अनुरूप होनी चाहिये। यह तथ्य कि कुछ सामाजिक अभ्यास रूढ़िवादी बहुमत द्वारा अवांछित हैं, इनके अपराधीकरण के लिये एक अपर्याप्त कारण ही हो सकता है।
- जैसा कि दारशनिक जोएल फीनबर्ग (Joel Feinberg) मानते हैं, "वास्तव में, किसी व्यक्ति के बारे में वह सब कुछ जिसके बारे में आपराधिक कानून को चर्चित होना चाहिये, उसकी नैतिकता में शामिल है। लेकिन किसी व्यक्ति की नैतिकता की हर बात कानून की चर्चा का वषिय नहीं होनी चाहिये।"

■ 'व्यभचार- यौन गोपनीयता के अधिकार' (Adultery- the Right to Sexual Privacy) पर सर्वोच्च न्यायालय के वचिरों का अनुसरण करना:

- व्यभचार पर कानून तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497 में शामिल था। यह कानून अपने तत्समय रूप में केवल पुरुषों को दंडित कर लगे के आधार पर भेदभाव करता था। लेकिन इस कानून की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि यह सहमति से बने यौन संबन्धों को भी अपराध घोषित करता था।
- जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) मामले में, इस कानून को नरिस्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बलपूर्वक कहा कि "व्यभचार को अपराध मानना राज्य द्वारा वास्तविक नजिी/व्यक्तिगत क्षेत्र में प्रवेश करने के समान होगा।"
 - इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि यह राज्य का कार्य नहीं है कि व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करे जो स्वयं "उन व्यक्तियों की नजिता एवं आत्मनरिणय के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के दायरे में है।"

■ नजिता के अधिकार के सदिधांतों का पालन:

- इसके अलावा, के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले (2017) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि "राज्य द्वारा पवतिर 'परसनल स्पेस' का वनिाश, चाहे वह देह का हो या मन का, राज्य की मनमानी कार्रवाई के वरिद्ध गारंटी का उल्लंघन है। देहिक गोपनीयता किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत के भौतिक पहलुओं की अखंडता का अधिकार प्रदान करती है।"

■ भेदभाव को रोकना और समावेशन को बढ़ावा देना:

- हमारे देश में अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक युगलों को अधिकारियों द्वारा गंभीर उत्पीड़न और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। आँकड़ों से पता चलता है कि ये युगल प्रायः हसिा का अनुभव करते हैं, जिसमें 'ऑनर कलिगि' भी शामिल है।
- लवि-इन संबन्धों पर उच्च नयामक प्रावधान वाला प्रस्तावति कानून सबसे पहले भेदय या संवेदनशील युगलों को प्रभावति करेगा। वधियक के प्रावधान समस्या को कम करने के बजाय और अधिक बढ़ाएँगे। राज्यों को अपनी जनसंख्या की शारीरिक अखंडता का समर्थन करने के लिये एक समावेशी वनियमन अपनाना चाहिये।

■ विवाह के अधिकार को समझना, जो जीवन का अभिन्न अंग है:

- व्यक्तियों के पास अपना जीवन साथी चुनने का अंतरनहित अधिकार है और न तो राज्य या समाज के पास, न ही व्यक्तियों के माता-पिता के पास इस अधिकार में हस्तक्षेप करने या इसे प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार होना चाहिये जब यह 'दो सहमत वयस्कों' से संबंधित हो।
- विवाह का अधिकार मानवीय स्वतंत्रता का विषय है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार न केवल मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) में रेखांकित किया गया है, बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न पहलू भी है जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है।

■ अपनी देह पर महिलाओं की स्वायत्तता का सम्मान करना:

- आधुनिक समाज नजिता के अधिकार के एक अंग के रूप में अपनी देह और यौनिकता (sexuality) पर महिलाओं की स्वायत्तता को बढ़ावा देता है, जिसमें महिलाओं का रात्रिकालीन कार्य करने का अधिकार, प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा, दैहिक अखंडता का अधिकार, अवैवाहिक माताओं के अधिकार, जबरन वध्याकरण के विरुद्ध अधिकार और विवाह, संतानोत्पत्ति एवं पारिवारिक जीवन के चुनाव पर नरिण्य लेने का अधिकार शामिल हैं।
- ये किसी के सबसे अंतरंग एवं व्यक्तिगत विकल्पों के मामले हैं और 'खुशी की तलाश' (pursuit of happiness) में आवश्यक हैं, जो स्वायत्तता एवं गरिमा पर आधारित हैं।

■ नजिता के अधिकार का कर्षतजि अनुप्रयोग सुनिश्चित करना:

- यह गैर-राज्य अभिकर्ताओं के विरुद्ध अधिकार की सुरक्षा को संदर्भित करता है, जहाँ यह माना जाता है कि इस बात के वनियमन की आवश्यकता है कि गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा सूचना का किस प्रकार संग्रहण, प्रसंस्करण एवं उपयोग किया जा सकता है।
- यह मानता है कि नजिता/गोपनीयता व्यक्ति को राज्य एवं गैर-राज्य दोनों तत्वों के हस्तक्षेप से बचाती है और व्यक्तियों को स्वायत्त जीवन विकल्प चुनने की अनुमति देती है।

■ अनुपातिकता परीक्षण को शामिल करना:

- अनुपातिकता परीक्षण (Proportionality Test), जैसा कि सर्ववदिति है, में चार चरण शामिल होते हैं: वैध लक्ष्य (legitimate goal), तर्कसंगत संबंध (rational connection), आवश्यकता (necessity) (यानी न्यूनतम प्रतिबंधात्मक एवं प्रभावी उपाय) और संतुलन-नरिमाण (balancing)।
- ऐसे वनियमों को प्रभाव में लाने से पहले उन्हें इन सिद्धांतों की कसौटी पर परखा जाना चाहिये।

नषिकर्ष

उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधियक 2024 द्वारा नरिधारित लवि-इन संबंधों का अनविार्य पंजीकरण और संभावित अपराधीकरण व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। विवाह और लवि-इन संबंधों के बीच के अंतर को मटाने के रूप में यह विधियक लवि-इन संबंधों की अनूठी प्रकृति को पहचानने में वफिल रहता है। यह कदम न केवल युगलों के लिये भयावह प्रभाव उत्पन्न कर सकता है बल्कि उनकी नजिता एवं पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। यह आवश्यक है कि एक लोकतांत्रिक समाज व्यक्तिगत संबंधों पर मनमाने प्रतिबंध लगाने के बजाय स्वायत्तता, नजिता एवं समानता के सिद्धांतों को अक्षुण्ण बनाये रखे।

अभ्यास प्रश्न: व्यक्तिगत संबंधों और सामाजिक गतिशीलता पर समान नागरिक संहिता (UCC) के संभावित प्रभाव पर विचार करते हुए व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं नजिता के लिये इसके नहितार्थों की चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीतिकाे नदिशक तत्त्वों के अंतरगत नमिनलखिति प्रावधानों पर विचार कीजिये: (2012)

1. भारतीय नागरिकों के लिये समान नागरिक (सविलि) संहिता सुरक्षति करना
2. ग्राम पंचायतों को संघटित करना
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना
4. सभी श्रमिकों के लिये उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षति करना

उपर्युक्त में से कौन-से गांधीवादी सिद्धांत हैं, जो राज्य की नीतिकाे नदिशक तत्त्वों में प्रतिबिबित होते हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान, जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनरिदेशित एवं अनरिथितरति विविधाधिकार देता है, भारत के संविधान के नमिनलखिति अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 14
- (b) अनुच्छेद 28
- (c) अनुच्छेद 32
- (d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. चरचा कीजिये कवि कौन-से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीतिके नदिशक तत्त्व में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिये समान सविलि संहतिा को अभनियिमति करने से रोकते हैं। (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/analysing-uttarakhand-s-ucc-bill>

